म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स किसान भवन जेल रोड भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/लेखा/वेतन निर्धा./17–18/3५६ भोपाल दिनांक 18/08/2017
प्रति,

संयुक्त संचालक (समस्त)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय ....(म.प्र.)

विषयः– म0प्र0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत वेतन निर्धारण के संबंध में।

––00––

म.प्र. राजपत्र में दिनांक 20 जुलाई 2017 को प्रकाशित म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 तथा म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–8–1/2016/नियम/चार दिनांक 22 जुलाई 2017 में तत्सबंधी दिये गये दिशा निर्देशो के अनुक्रम में म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आदेश क्रमांक/बी–1/1/ख/29/ 1145–46 दिनांक 01.08.2017 से प्रदेश की कृषि उपज मंडी समिति के अंतर्गत अधिकारी/कर्मचारियों को तथा आदेश क्रमांक 1147–1148 दिनांक 01.08.2017 द्वारा राज्य मंडी बोर्ड सेवा के अधिकारी/कर्मचारियों को म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 दिनांक 01.01.2016 से प्रभावशील किये गये हैं।

शासन तथा मण्डी बोर्ड के तत्सम्बधी निर्देशो के परिपालन में मण्डी बोर्ड के आंचलिक कार्यालयों तथा कृषि उपज मण्डी समितियों में पदस्थ राज्य मण्डी बोर्ड एवं मण्डी समिति सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के संबंध में निम्न मार्गदर्शी बिंदुओ का पालन अनिवार्यतः किया जाना सुनिश्चित करें:–

1– वेतन पुनरीक्षण नियम 2008 (छटवे वेतनमान) में 01.01.06 अथवा इसके पश्चात् जिन अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का सत्यापन तथा जिनकी पदोन्नति/समयमान वेतनमान का लाभ उक्तावधि में दिया गया हैं, उनके वेतनमान का सत्यापन स्थानीय निधि संपरीक्षा से कराने के पश्चात् वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावें।

2– कर्मचारी से निर्धारित प्रपत्र में विकल्प प्राप्त करें, विकल्प को कार्यालय में आवक कर क्रमांक एवं दिनांक अंकित किया जावें, तथा कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर, नाम, दिनांक तथा पदमुद्रा भी अंकित की जावें।

3– कर्मचारी से निर्धारित प्रपत्र (तीन) में वचन पत्र प्राप्त किया जावे ।

4– म.प्र. शासन , वित्त विभाग वेतन निर्धारण सम्बधी निर्देश ज्ञाप क्रमांक एफ–8–1/2016/नियम/चार दिनांक 22 जुलाई 2017 में प्रपत्र एक में निर्धारित प्रारूप में वेतन नियतन पत्रक में वेतन निर्धारण किया जावे, एवं संबंधित के विकल्प तथा वचन पत्र को सेवा पुस्तिका में संलग्न किया जावे।

5— शासन के निर्देशों के अनुक्रम में सावधानी पूर्वक वेतन निर्धारण कर सेवा पुस्तिका में पृविष्ठी उपरांत प्रकरण (वेतन नियतन पत्रक, विकल्प, सेवा पुस्तिका आदि सहित) आंचलिक संयुक्त/उप संचालक कार्यालय द्वारा स्थानीय निधि संपरीक्षा को अनुमोदन हेतु भेजा जावे।

6— दिनांक 01.01.2016 के पश्चात् सेवा निवृत्त अधिकारियो/कर्मचारियों का भी उक्तानुसार विकल्प तथा वचन पत्र प्राप्त कर वेतन निर्धारण करे तथा इसकी पृविष्ठी सेवा पुस्तिका में कर स्थानीय निधि संपरीक्षा से अनुमोदन कराया जावे। स्थानीय निधि संपरीक्षा से अनुमोदन उपरांत 01.01.2016 या कर्मचारी द्वारा विकल्प मे दर्शायी गई तिथी से सेवानिवृत्ती तिथी तक का वेतन ऐरियर गणना पत्रक तैयार कर ऐरियर राशि भुगतान की जावे, तदाशय की पृविष्ठी सेवा पुस्तिका में करे तथा उपरोक्त कार्यवाही पश्चात् इन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाऐं संकलित रूप से आगामी कार्यवाही हेतु मंण्डी बोर्ड मुख्यालय (वित्त शाखा) को भेजी जावे।

7— यदि त्रुटिपूर्ण वेतन नियतन कार्यालय प्रमुख/सक्षम अधिकारी की गलती से हुआ हो, तो अधिक भुगतान सम्बधित से वसूला जाकर कार्यालय प्रमुख/सक्षम अधिकारी से भी अधिक भुगतान की गई राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि दण्ड स्वरूप वसूली जायेगी।

(राजेश सिंह कौरव)
अपर संचालक (वित्त)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/लेखा/वेतन निर्धा./17—18/347 भोपाल दिनांक 18/08/2017

प्रतिलिपि—

(1) निज सहायक, प्रबंध संचालक महोदय मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रस्तुत।

(2) संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(3) अपर संचालक (बोर्ड/मंडी कार्मिक) म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(4) संयुक्त संचालक (समस्त) स्थानीय निधि संपरीक्षा, क्षैत्रीय कार्यालय .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(5) कार्यपालन यंत्री (समस्त) म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग ....की ओर उपरोक्त दिशा निर्देशों के पालन हेतु।

(6) सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति (समस्त) .... जिला .... की ओर उपरोक्त दिशा निर्देशों के पालन हेतु।

अपर संचालक (वित्त)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल